



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apecf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/ विविध-ए/115-918/ 319
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 04/04/2025

अपर मुख्य सचिव

छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर मैनेजर टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमि. द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/24/2024-IRO-RAIPUR/147 दिनांक 29.10.2024
 2. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 5-06/2024/10-2 दिनांक 09.12.2024
 3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./ 1947 दिनांक 19.03.2025

* * * * *

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा आवेदनकर्ता टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमि. को कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से उक्त स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
ii	Compensatory afforestation : Cost of plantation (including ten years maintenance) of 100 dies along shall be levied from the user agency towards Compensatory afforestation. As far as possible mixture of local indigenous species along with 10% RET species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
iii	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained	आवेदक विभाग द्वारा शर्त को मान्य करते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि रुपये 6,26,949/- एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रुपये 6,58,524/- कुल राशि 1285473/- रुपये ई-चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. HDFCR52025010377008709 दिनांक 02.01.2025 द्वारा कैम्पा खाता में जमा की गई है। पुष्टि हेतु रसीद

S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE
	for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years;	की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
iv	NPV : The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.114 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in WP (C) No. 202/1995 and the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009, letter No. 5-3/2011-FC(vol-4) dated 06.01.1992 and letter No. 5-3/2011-FC(vol-1) dated 22.03.2022 in this regard;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त को मान्य करते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि रुपये 6,26,949/- एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रुपये 6,58,524/- कुल राशि 1285473/- रुपये ई-चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. HDFCR52025010377008709 दिनांक 02.01.2025 द्वारा कैम्पा खाता में जमा की गई है। पुष्टि हेतु रसीद की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
v	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
vi	Tree felling shall not be permitted in the diverted forest land;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
vii	The user Agency shall furnish an undertaking for laying of underground OFC within the existing RoWs provided no damage is caused to any tree of wildlife;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
viii	After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
ix	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portai (https://parivesh.nic.in/).	परियोजना अंतर्गत आवेदक विभाग द्वारा समस्त राशि को कैम्पा खाता में जमा की गई है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
x	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per the provision of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023	आवेदक विभाग द्वारा शर्त को मान्य करते हुए जिला कलेक्टर कबीरधाम द्वारा दिनांक 10.06.2024 को जारी FRA Certificate संलग्न किया गया है। (संलग्नक-10)
xi	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
xii	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
xiii	No labour camp shall be established on the forest land,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
xiv	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र


S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE
	the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	संलग्न है। (संलग्नक-14)
xv	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
xvi	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
xvii	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
xviii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
xix	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
xx	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Samakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017FC dated 28.03.2019	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)
xxi	Any other condition that the Regional Office, Nagpur may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area shall be complied by the User Agency;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
xxii	In the event of failure to comply with any of the above conditions the User Agency is liable for penal action as per the rules / guidelines issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
xxiii	The State Government shall process and submit compliance report on the above conditions through online (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-23)

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र-3 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। तदनुसार शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर को प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु लेख करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(सू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, कवर्धा, छत्तीसगढ़।
- उप कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 29.10.2024 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन चेप्टर-4 के पैरा 12 अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।
3. **Telesonic Networks Limited**, 3rd & 4th Floor, Scheme No. 54 A.B. Road metro Towers Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010.


प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़